राष्ट्रिकों की ही सहायता कर सकते हैं। वे इसे यथासंभव उचित रूप में करते हैं।

राज्यों द्वारा टेलीफोन डायरेक्टरियों का प्रकाशन

1447. **श्री श्याम सुन्दर दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन में भेदभाव हुआ है और उसके क्या कारण है ;

(ख) क्या बिहार में प्रयोक्ताओं को अक्तूबर, 1977 के प्रथम सप्ताह तक 1973 में प्रकाशित टेलीफोन डायरेक्टरी का उपयोग करना पड़ा और आपातकाल के दौरान किए गए निर्णय के अनुसार उसके परिणामस्वरूप नम्बर 197 अनिवार्य : डायल करना पड़ता था और उसके लिए पैसे देने पड़ते थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भेदभाव पूर्ण नीति को समाप्त करने का है और नम्बर 197 पर की गई सामान्य उपयोगिता वाली कालों पर ली गई फीस प्रयोक्ताओं को वापस करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। बिहार सर्किल की टेलीफोन डाइरेक्टरी का जुलाई 1973 संस्करण फरवरी 1974 में निकाला गया था। उसके बाद, विभाग और मुद्रकों व विज्ञापन ऐजेंटों के बीच विवाद पैदा हो जाने के कारण कोई भी डाइरेक्टरी प्रकाशित नहीं की जा सकी। विधि मंत्रालय के परामर्श से 13-4-1977 को मुद्रकों व विज्ञापन एजेंटों के साथ हुए करार को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद नए टैंडर मांगे गए और ठेके दिए गए। डाइरेक्टरी का 1977 का संस्करण छप रहा है और आशा है कि वह दिसम्बर, 1977 के अन्त तक प्रकाशित हो जाएगा।

'197' एक मीटर की जाने वाली सेवा है जो डाइरेक्टरी संबंधी पूछताछ के लिए उपलब्ध है। डाइरेक्टरी में सूचना उपलब्ध रहते पर भी लोग '197' सेवा पर डायल करते हैं। यह भेद करना संभव नहीं है कि '197' पर डाइरेक्टरी के मौजूदा इन्दराजों के संबंध में कालें की गई हैं या नए या परिवर्तित नम्बरों के संबंध में कालें की गई हैं।

(ग) जैसा कि पहले बताया गया है, इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता और '197' पर की गई कालों के प्रभार वापस करना व्यवहार्य नहीं है।

Lady Attendant working on Daily Wages in Delhi Telephone Exchange, Janpath

1448 SHRI K A. RAJAN Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of lady attendants working on daily wages in Delhi Telephone Exchange on Janpath, New Delhi;

(b) whether it is Government's policy to make all daily wage workers permanent; and

(c) the steps being taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI). (a) Three.

(b) Daily wages workers are considered for absorption against regular Group 'D' vacancies subject to their fulfilling certain conditions prescribed for this purpose.

(c) Does not arise.